उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग

लखनऊ

सं0: 952/ मु0अ0(वा0एवंऊ0ले0) / सीयूआर–II / आर–3 दिनांकः 10-08-2020

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं पर लम्बित ऐसे विद्युत भुगतान जिसे प्राप्त किया जाना सम्भव नही है उस धनराशि को एरियर के रूप में न परिलक्षित होने की दृष्टिगत अप्राप्य बकाये (Irrecoverable Dues) के पूर्व प्रावधानित आदेशों को अवक्रमित करते हुए निम्नलिखित आदेश निर्गत किये जाते है। इन आदेशों का अनुपालन डिस्काम के वितरण क्षेत्र के मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता एवं उनके अधीनस्थ समस्त अधिकारियों / कार्मिकों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगाः–

1. उपभोक्ताओं के विद्युत संयोजनों पर पी0डी0 की प्रक्रिया क्रियान्वित किये जाने के बाद वास्तविक विद्युत देयो की वसूली हेतु नियमानुसार धारा–3 एवं धारा–5 की नोटिस निर्गत की जायेगी। धारा–5 पर जनपदों में जिला प्रशासन द्वारा न वसूले जाने वाले वास्तविक धनराशि के सम्बन्ध में अंकित टिप्पणी को संज्ञान में लेकर कार्यवाही की जायेगी। जिला प्रशासन द्वारा लौटाये गये टिप्पणी के कुछ बिन्दु उदाहरणार्थ निम्नवत् है–

   i. उपभोक्ताओं व वारिसान जीवित नहीं है एवं उनकी किसी प्रकार की कोई आस्तियाँ नही है। उपभोक्ता / वारिसान जीवित तो है परन्तु उनकी स्थिति ऐसी नही है कि पैसा वसूल हो सके एवं उनके पास किसी प्रकार की कोई आस्तियाँ नही है।

   ii. संयाजनों का नाम एवं पता अपूर्ण हैं अथवा खोजे नही जा पा रहे है। उपखण्ड / खण्ड द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं के संयोजन की पत्रावली अथवा मीटर रिडिंग एजेन्सी की मदद से उपभोक्ता को खोजने के सम्पूर्ण प्रयास किये जायेगें।

   iii. उपभोक्ता के सम्बन्ध में उपरोक्त कार्यवाही एवं प्रयास की प्रक्रिया का उल्लेख कर उनके बकाये को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उसे अप्राप्य घोषित किया जायेगा जिस पर अप्राप्य बकाये को समाप्त करने / बट्टे खाते में डालने का अनुमोदन धनराशि के विवरण के अनुसार सक्षम समितियों द्वारा किया जायेगा। समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रारूप सं0–3 के अनुसार अप्राप्य बकाये (Irrecoverable Arrear) का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

2. अप्राप्य बकाये (Irrecoverable Arrear) को बट्टे खाते (Write Off) में डालने हेतु समिति के अधिकार निम्नवत् होगें।

   क) <u>10 लाख से अधिक के बकाए परः–</u>
   निदेशक (वाणिज्य), सम्बन्धित वितरण निगम – अध्यक्ष
   मुख्य अभियंता (वितरण) – संयोजक
   उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) – सदस्य

   ख) <u>5 लाख से अधिक एवं 10 लाख तक के बकाए परः–</u>
   मुख्य अभियंता (वितरण) – अध्यक्ष
   अधीक्षण अभियंता (वितरण) – संयोजक
   उपमुख्य लेखाधिकारी (वितरण) – सदस्य

   ग) <u>1 लाख से अधिक एवं 5 लाख तक के बकाए परः–</u>
   अधीक्षण अभियंता (वितरण) – अध्यक्ष
   अधिशासी अभियंता (वितरण) – संयोजक
   स0 लेखाधिकारी / लेखाधिकारी (वितरण मंडल) – सदस्य

घ) 1लाख तक के बकाए परः–

अधिशासी अभियंता (वितरण खण्ड)	–	अध्यक्ष
अधि0अभि0 (रा0)/सहा0अभि0(राजस्व)	–	संयोजक
लेखाकार (राजस्व)	–	सदस्य

3. सरकारी विभागों के अवास्तविक एवं अप्राप्य बकाये के सम्बन्ध में भी उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही की जाएगी। सरकारी विभागों का धारा 3 के नोटिस के स्थान पर रजिस्टर्ड नोटिस भेजा जाएगा एवं उसकी एक प्रति सम्बन्धित सहायक अभियंता (राजस्व)/उपखण्ड अधिकारी द्वारा कार्यालय प्रमुख को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कराते हुए एवं इसकी एक प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी को भी दी जाएगी। लगभग 6 से 8 सप्ताह के अन्तराल के बाद उन्हें धारा 3 की नोटिस भेजी जाएगी। जिसे सम्बन्धित जिलाधिकारी को भी पुनः अवगत कराया जाएगा। **इन मामलों में धारा 5 की नोटिस नहीं भेजी जाएगी।**

4. उपभोक्ताओं से बकाया राशि जो कि सक्षम अधिकारी/समिति द्वारा अप्राप्य घोषित कर दिये गये है उस राशि को पूर्व प्रचलित लेखाशीर्ष 79.410 (अपलिखित अशोध्य ऋण उपभोक्ताओं से बकाया) को डेबिट तथा लेखा समूह 23 के सम्बन्धित लेखाशीर्षों को क्रेडिट किया जाएगा।

5. अप्राप्य बकाये को समाप्त करने अथवा बट्टे खाते में डालने में समिति द्वारा लिये गये निर्णयों को प्रत्येक छमाही सम्बन्धित डिस्काम के निदेशक मण्डल से कार्योत्तर अनुमोदन कराकर उपरोक्त की प्रविष्टि बैलेन्ससीट में सुनिश्चित किया जायेगा।

6. जिस व्यक्ति/परिसर के अप्राप्य बकाये को बट्टे खाते में डाला गया हो उस परिसर अथवा उस व्यक्ति को भविष्य में बिना पूर्ण भुगतान प्राप्त हुये किसी प्रकार का कोई विद्युत संयोजन स्वीकृत नही किया जायेगा।

7. अप्राप्य बकाये को समाप्त करने अथवा बट्टे खाते में डालने के अभिलेख एवं रिकार्ड उ0प्र0 पावर कारपोरेशन/डिस्काम के निर्धारित प्रारूप में अनिवार्य रूप से रखे जायें जिसका मासिक अनुश्रवण अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) एवं त्रैमासिक अनुश्रवण मुख्य अभियन्ता (वितरण) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

आज्ञा से
निदेशक मण्डल
उ0प्र0पा0का0लि0

प्रतिलिपिः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. समस्त प्रबन्ध निदेशक, डिस्काम एवं केस्को।
3. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त निदेशक (वाणिज्य), डिस्काम एवं केस्को।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), डिस्काम एवं केस्को।
7. अधीक्षण अभियंता (आई0टी0/कम्प्यूटराईजेशन इकाई), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सभी डिस्काम के उपभोक्ताओं के अप्राप्य बकाये के Write Off का विवरण को संकलित स्वरूप में देखे जाने का प्रावधान विकसित करेंगे।

(एम0 देवराज)
प्रबन्ध निदेशक

प्रारूप–3

विद्युत वितरण खण्ड ....

विद्युत वितरण मण्डल......................

विद्युत वितरण क्षेत्र..........................

अप्राप्य बकाया (Irrecoverable Dues) का विवरण

क्र0सं0	उपभोक्ता का नाम तथा पता	कुल बकाया (रू0 में)	धारा–5 में इंगित धनराशि	जिलाधिकारी द्वारा धारा–5 का नोटिस वापिस करने का कारण	जिलाधिकारी द्वारा धारा–5 के वापस किये गये नोटिस पर खण्ड द्वारा की गई कार्यवाही	अपलेखन के लिए खण्ड द्वारा संस्तुति की गई धनराशि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
	योग (कॉलम 4 एवं 7)						